बिहार में हीटवेव के दौरान मतदान

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के चार **संसदीय क्षेत्रों के कुछ भाग में** मतदान की अवधि दो घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये राज्य के **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** ने हीटवेव के कारण मतदान का समय बढ़ाने का फैसला किया है।
- यह निर्णय 19 अप्रैल को शुरुआती दौर के मतदान के दौरान तुलनात्मक रूप से कम मतदान के बाद लिया गया है।

हीटवेव:

- इस **भीषण ग्रीष्म अवधि में** मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत, एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण, विशेष रूप से हीटवेव के प्रति संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में अधिक और तीव्र हो गई है।
- **भारत में हीटवेव घोषित करने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मानदंड:**
  - जब तक किसी क्षेत्र का **अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों के लिये कम-से-कम 30 डिग्री** सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हीटवेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
  - यदि किसी **क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है, तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि** को हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
    - इसके अलावा, **सामान्य तापमान से 7 डिग्री या उससे अधिक की वृद्धि** को हीटवेव माना जाता है।
  - यदि किसी क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो **सामान्य तापमान 4°C से 5°C की** वृद्धि को गरमी की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, **6°C या इससे अधिक की** वृद्धि को गंभीर हीटवेव माना जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद **वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या इससे अधिक रहता** है, तो हीट वेव घोषित की जाती है।

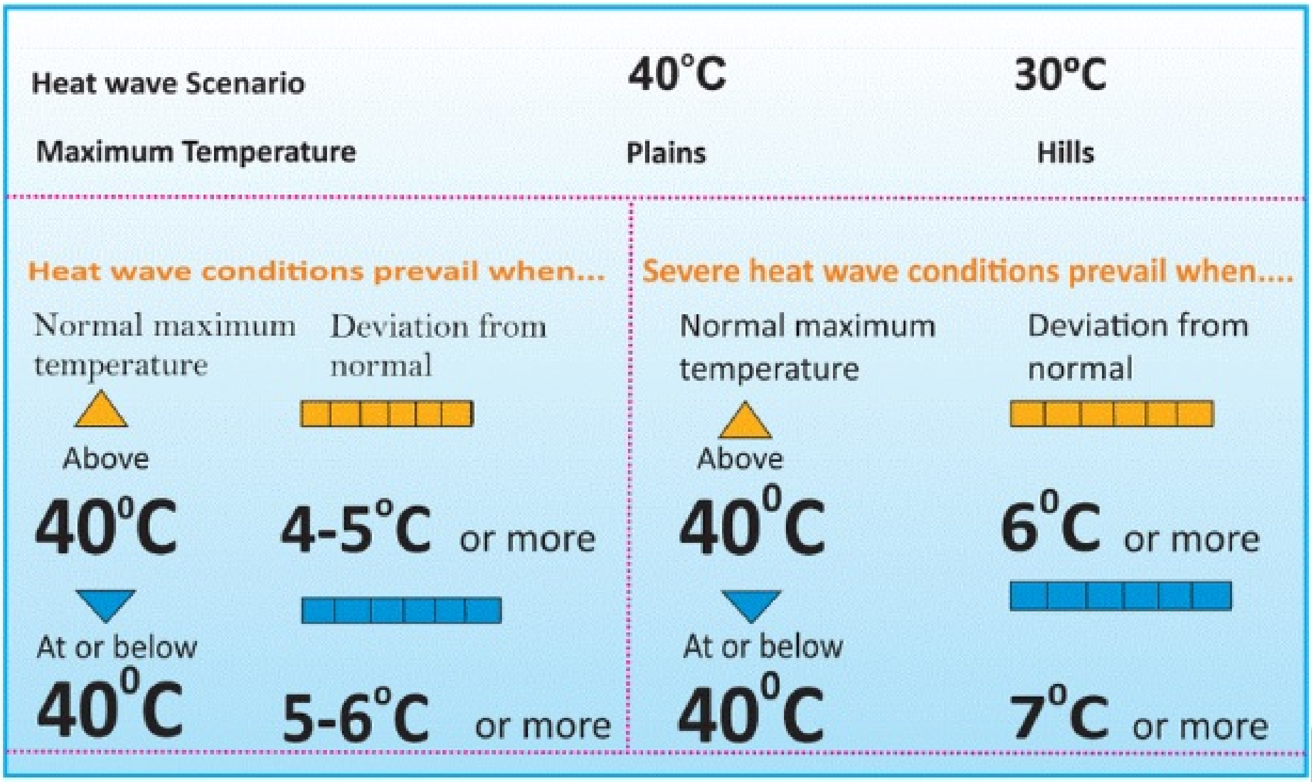

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/poll-timing-in-bihar-over-heatwave